



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08022025-260846  
CG-DL-E-08022025-260846

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 663]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2025/माघ 18, 1946

No. 663]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2025/MAGHA 18, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2025

**का.आ. 667(अ).—** केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 725 तारीख 16/02/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले में NH-48 के कि.मी. 592.240 से कि.मी.725.000 (कागल-सातारा सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " 07/03/2024 " को "सकाळ " और "फ्री प्रेस जरनल" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

#### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले में NH-48 के कि.मी. 592.240 से कि.मी.725.000 (कागल-सातारा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सातारा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सातारा					
गांव का नाम: नागठाणे					
1	१ ते १३ अंशतः	निजी	कृषिक	0.01	विजय गोविंद कांबळे एकूम्य, आनंदा बळीराम कांबळे एकूम्य, 7 Part
2	१ ते १३ अंशतः	निजी	कृषिक	0.0155	शिवाजी दिनकर कांबळे, रेणुका दिलीप गायकवाड, रणदीप दिलीप गायकवाड, अमिनीका अविनाश कांबळे, वैभववी समीर कांबळे 13 Part
Total				0.0255	

[फा. सं. LA/PSK/6Laning/1050/2009/3D]

अभय जैन, निदेशक

#### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2025

**S.O. 667(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **725 Dated:16/02/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning/six laning, etc.), maintenance, management and

operation of NH-48 in the stretch of land from Km. 592.240 to Km. 725.000 (Kagal-Satara section) in the district of Satara in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Daily Sakal” and “Daily Free Press Journal” both dated 07/03/2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

### SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 592.240 to Km. 725.000 (Kagal-Satara Section) of NH-48 in the district of Satara in the state of MAHARASHTRA**

State: MAHARASHTRA			District: Satara		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Satara</b>					
<b>Village: Nagthane</b>					
1	1 to 13 Part	Private	Agriculture	0.01	Vijay Govind Kambale JMF, Ananda Baliram Kambale JMF 7 Part
2	1 to 13 Part	Private	Agriculture	0.0155	Shivaji Dinkar Kambale, Renuka Dilip Gaikwad, Randeep Dilip Gaikwad, Aminika Avinash Kambale, Vaibhavi Sameer Kambale 13 Part
<b>Total</b>				<b>0.0255</b>	

[F. No. LA/PSK/6Laning/1050/2009/3D]

ABHAY JAIN, Director